

प्रेषक,

शिवराम,
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी,
राहत आयुक्त कार्यालय,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ: दिनांक : 21 मार्च, 2017

विषय:- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-51 के विभिन्न लेखाशीर्षकों में आवंटित धनराशि के व्यय विवरण तथा समर्पण की सूचना उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-51 के विभिन्न लेखाशीर्षकों में धनराशियाँ आवंटित की गयी हैं। लेखाशीर्षों का विवरण इस प्रकार है:-

क्र.सं.	लेखाशीर्ष
1	2245-05-800-06-01-सूखा राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय
2	2245-05-800-06-02-बाढ़ राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय
3	2245-05-800-06-03-चक्रवात राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय
4	2245-05-800-06-04-भूकम्प राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय
5	2245-05-800-06-05-ओलावृष्टि राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय
6	2245-05-800-06-06-बादल फटने पर राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय
7	2245-05-800-06-07-अग्निकांड राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय
8	2245-05-800-06-08-शीतलहरी/पाला से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय
9	2245-05-800-06-09-राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय
9	2245-05-800-06-10-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय
10	2245-05-800-06-11-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से सामान्य व्यय
11	2245-80-800-07-00-जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण हेतु सहायता अनुदान (गैर वेतन)
12	2245-05-800-04-00-दैवी आपदा से प्रभावित किसानों को राज्य सरकार से अतिरिक्त सहायता
13	2245-05-800-05-00-नेशनल डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय

2- इस संबंध में उल्लेख करना है कि शासनादेश संख्या-1128/1-10-2016 दिनांक-10.10.2016 द्वारा प्रदेश के 52 जनपदों को लेखाशीर्ष-2245-05-800-04-00-दैवी आपदा से प्रभावित किसानों को राज्य सरकार से अतिरिक्त सहायता के अंतर्गत कुल धनराशि रु0 1699.71 करोड़ स्वीकृत की गयी है। इसी प्रकार खरीफ सूखा मेमोरेण्डम के सापेक्ष भारत सरकार से प्राप्त रु0 934.32 करोड़ तथा रबी सूखा मेमोरेण्डम के सापेक्ष शासनादेश दिनांक-19.09.2016 द्वारा धनराशि रु0 622.76 करोड़ जनपदों को लेखाशीर्ष-2245-05-800-05-00-नेशनल डिजास्टर रेस्पांस फण्ड स्वीकृत की गयी है। उक्त के अतिरिक्त अन्य लेखाशीर्षों में शासन द्वारा अलग-अलग तिथियों में विभिन्न शासनादेशों से राज्य आपदा मोचक निधि से धनराशि स्वीकृत की गयी है।

3- अतः इस संबंध में अनुरोध है कि जनपद को उपरोक्त लेखाशीर्षों में स्वीकृत धनराशि, उसके सापेक्ष कोषागार से आहरित धनराशि तथा होने वाली बचत और समर्पण का लेखाशीर्षवार पूर्ण विवरण दिनांक 31 मार्च 2017 के तक सचिव एवं राहत आयुक्त कार्यालय उ0प्र0 शासन के फैंक्स सं0-0522-2238084 तथा ईमेल-rahata@nic.in पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(शिवराम)

वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी